बिहार सरकार

समाहरणालय,जमुई

महिला एवं बाल विकास निगम, जमुई

शक्ति सदन, जमुई

विज्ञापन संख्या– 01/26

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक– WCDC/2402/26, दिनांक–23/07/2026 के आलोक में शक्ति सदन, जमुई के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्रं0 सं0	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	पदों की संख्या	कोटि	आयु अधिकतम	मानदेय (कर्मियो को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी)
1.	महिला अधीक्षिका (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	कोटीवार अनुमान्य आयु के अनुसार	13,349 रूपया
2.	कार्यालय सहायक	01	अनारक्षित		8,899 रूपया

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट–https://jamui.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदन दिनांक– 10.12.2026 तक E-Mail-shaktisadanvacancy@gmail.com पर अपराह्ण 5:00 बजे तक ही स्वीकार किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नही होगा।

उप विकास आयुक्त
जमुई।

समाहरणालय, जमुई

महिला एवं बाल विकारा निगम, जमुई

शक्ति सदन, जमुई

विज्ञापन संख्या– 01/26

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक–WCDC/2402/26, दिनांक–23/07/2026 के आलोक में शक्ति सदन, जमुई के रांचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं0 सं0	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता	पदों की संख्या	कोटि	मानदेय
1.	आवासीय अधीक्षिका **(महिला हेतु आरक्षित)** आवासीय अधीक्षिका,शक्ति सदन की मार्गदर्शिका के अनुरूप शक्ति सदन के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदाई होंगी।	कानून/ समाजकार्य/ समाजशास्त्र / समाजविज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव **प्राथमिकताः–** महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।	01	अनारक्षित	13,349 रूपया
2.	कार्यालय सहायक	स्नातक	कंम्प्यूटर की जानकारी हो, डाटा प्रबंधन,दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/आई0टी0 संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	01	अनारक्षित	8,899 रूपया

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदको को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
4. उम्र सीमाः– संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।
 अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष
 पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
 अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी।
7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा

मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन शक्ति सदन के अधीन होगा।

8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
9. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कम्प्यूटर का कार्य करने का ज्ञान रखता है, तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
10. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. सरकारी/अर्ध –सरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभवन की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
12. चयन प्रक्रिया–निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी की सूचना जिला के NIC वेबसाइट https://jamui.nic.in पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
13. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी, जमुई के अधीन है। जिला पदाधिकारी, जमुई विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
15. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए दिनांक–10.12.2026 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (PDF में) के साथ संलग्न करते हुए E-Mail- shaktisadanvacancy@gmail.com पर अपराह्ण 5:00 बजे तक समर्पित करेंगे। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. एक से अधिक पदो के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
18. अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित सभी अपडेट अन्य घोषणाओ हेतु नियमित रूप से जिला NIC के https://jamui.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

उप विकास आयुक्त
जमुई।